

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं. 20 /2014	धारा अंतर्गत 212, RTA	ग्राम छबड़ा	तहसील छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
पेम	बनाम	नारीर खां वगै०	

वकील :-

**आदेश पत्रक**

वकील :-

दिनांक

**कार्यवाही एवं आदेश**

विविध संदर्भ

25-3-14

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया, रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी गण को जर्जे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम छबड़ा तहसील छबड़ा के ख0नं0 1035 रकवा 09.03 बीघा, ख0नं0 1038 रकवा 01 बीघा पर यथास्थिति जबाव पेश होने तक बनाये रखे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.05.2014 को पेश हो।

*(Signature)*

7-5-14

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 12-6-14 को पेश हो।

*(Signature)*  
सिडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा / बारा

17-6-14

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 28-7-14 को पेश हो।

*(Signature)*  
सिडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा / बारा

28-7-14

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 29-9-14 को पेश हो।

*(Signature)*  
सिडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा / बारा

29-9-14

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 24-11-14 को पेश हो।

*(Signature)*  
सिडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा / बारा

श्रीम. वासीर खा. धारा-212 RTI

मु.नं. 20/14

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

29/6/16

न्याय आयोग के दूर-2016 के 25 पंजे के अन्तर्गत वरु मजुम  
आय आगम इस प्रकरण-212 RTI के सम्बन्धित  
मूल वाद प्रिलेज हो गया है कि: इस प्रकरण पर  
आय आगम के अन्तर्गत (क) के अन्तर्गत प्रिलेज  
कृष्ण वरु मजुम के अन्तर्गत होनी

उपखण्ड अधिकारी  
छन्द जिला बारों (राज.)

र-2016  
कम